# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

अजीत कुमार महतो वगै० बनाम पूर्णचन्द्र महतो वगैरह

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 23-02-18 | अभिलेख सं0–एम......12 / 2018 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी ...तमाड़..... के अप्राथमिकी सं0-04/18.. दिनांक-08/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि मूर्ति विसर्जन के चलते झगड़ा झंझट एवं मारपीट होने के कारण उभय पक्ष में तनाव है।<br><br>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।<br>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।<br>अभिलेख तिथि ..16-03-18..... को उपस्थापित करें।<br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।<br><br>23/2/18<br>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। | |
| 16-03-18 | पीठासीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त। दिनांक 02-04-18 को रखें। | |

पृष्ठ सं०–

| तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| | अन्य अनुपस्थित। प्रथम पक्ष गवाह अनुपस्थित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता द्वारा गवाही हेतु अगली तिथि की मांग की गई। दिनांक 29-10-18 को रखें। (हस्ताक्षर) | |
| 29-10-18 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रमांक 02, 03 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद काल-बाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 29/10/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी प्रखंड (राँची) (हस्ताक्षर) 29/10/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी प्रखंड (राँची) | |

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:06:37 +05:30
Location: 192.168.43.107